न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :— 26/2018
निर्णय दिनांकः— 01.02.2019

उनवान

चोथमल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोक
—प्रार्थी

बनाम

1.कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.आशाराम पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3.गीता पत्नी बाबू जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4.टीकाराम पुत्र बाबू जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5.दीलखुश पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6.धनपाल पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
7.मनराज पुत्र हेमराज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
8.मोजन्ता पुत्री हेमराज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
9.मोती पुत्र बाबू जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
10.केदार पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
11.हरनारायण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
12.रामफूल पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
13.बाबू पुत्र बदरी जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
14. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री बाबू लाल जैन वकील प्रार्थी

श्री हरिराजसिंह वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का खेत ख0न0 1526 रकबा 3.06 है0 वाके ग्राम मोहम्मदगढ तह0 उनियारा जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है। उक्त खेत पर प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

ने सरसों आदि काटकर खाली पडा हुआ है। इस खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ख0न0 1523 व 1529, 1530, 1532 व 1522 के मध्य की मेड पर होकर रास्ता प्रार्थी के खेत मे आता जाता है। ख0न0 1529 प्रतिपक्षी न0 11 की खातेदारी मे है व ख0न0 1523 प्रतिपक्षी न0 9 मोती के खातेदारी मे है। ख0न0 1526 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। ख0न0 1530, 1532, 1533 रामफूल, बसबू, हरनारायण, केदार की खातेदारी मे है। प्रार्थी हमेशा से 1533 व 1522 की मेड पर होकर व 1532, 1533 की मेड पर होकर व 1530 व 1523, 1529 की मेड पर होकर ख0न0 1526 मे आता है। उक्त स्थान पर प्रार्थी का आने जाने का रास्ता बना हुआ है। किन्तु प्रतिपक्षीगणों ने एक माह पूर्व रास्ते को अवरूद्व कर दिया और आने जाने से मना कर दिया, इसलिये मजबूर होकर अदालत हाजा मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त रास्ते के लिये सरकारी शुल्क जो भी लगता है (कीमत खातेदारी) देने को तैयार है। रिकार्ड मे रास्ता दिलवाया जावे।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी को ख0न0 1533, 1522, 1532, 1530, 1529, 1523 के मध्य की मेड मे होकर ख0न0 1526 के लिये रास्ता प्रतिपक्षी से खुलासा करवाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 13 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत, अवैधानिक व विधि विरूद्व है। जो बिल्कुल झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर है, कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने 251 राज0 टी0 एक्ट के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसका श्रवणाधिकार तहसीलदार को है। प्रार्थी का कभी भी प्रतिपक्षीगण की आराजी पर होकर कोई रास्ता ना तो पूर्व मे था और ना ही आज मोके पर है। प्रार्थी ने मिथ्या कथन के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्म्दगढ मे प्रश्नगत आराजी ख0न0 1526 रकबा 3.06 चोथमल, नेहनूलाल मोहनी लादू पि0 मांगीलाल जाति जाट सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्म्दगढ मे आराजी ख0न0 1522 रकबा 2.52 कन्हैयालाल दत्त्क पुत्र भंवरलाल जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्म्दगढ मे आराजी ख0न0 1523 रकबा 2.05 आशाराम पुत्र हेमराज, गाता पत्नि बाबू, टीकाराम पुत्र बाबू, दिलखुश पुत्र हेमराज, धनपाल पुत्र हेमराज, मनराज पुत्र हेमराज, मोजन्ता पुत्री हेमराज जाति मीना सा0 देह की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्म्दगढ मे आराजी ख0न0 1911/1532 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

0.58 केदार पुत्र गिर्राज जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्मदगढ मे आराजी ख0न0 1917/1530 रकबा 0.85 हरनारायण पुत्र कल्याण जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मोहम्मदगढ मे आराजी ख0न0 1916/1530 रकबा 0.13 रमेशी देवी पत्नि रामसागर जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी को अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1526 पर आने जाने का अधिकार है। ख0न0 1526 पर आने जाने के लिये राजस्व नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज नही है। यदि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिये रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी को उसकी संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1526 रकबा 3.06 है0 वाके ग्राम मोहम्मदगढ तहसील उनियारा मे आने जाने के लिये आराजी ख0न0 1533, 1522, 1532, 1530, 1529, 1523 के मध्य की मेड मे होकर 12 फीट चोडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर वर्तमान बाजार दर अनुसार प्रार्थी से राशी जमा कराई जावे तथा अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। सिवायचक भूमि की राशि नियमानुसार वसूल कर राज कोष मे जमा करावे। तत् पश्चात् राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अमल दरामद करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाशचन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner